झारखंड उच्च न्यायालय,रांची

आपराधिक विविध याचिका संख्या 510/2024

1. आशा देवी @ अनुपा कुमारी, उम्र लगभग 21 वर्ष, पति- बबलू यादव

2. बबलू यादव @ बबलू कुमार, पिता- जयदेव यादव, उम्र लगभग 27 वर्ष, दोनों निवासी ग्राम- नायकडीह, डाकघर + थाना- धनवार, जिला- गिरिडीह (झारखंड) .. याचिकाकर्ता

बनाम

झारखण्ड राज्य ...विपक्षी

याचिकाकर्ता के लिए :श्री अनुराग कश्यप, अधिवक्ता

विपक्षी के लिए : श्री शिव शंकर कुमार, अपर लोक अभियोजक

<u>उपस्थित</u>

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- दोनों पक्षों को सुना।

2. यह आपराधिक विविध याचिका धारा 482 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दायर की गई है, जिसमें विद्वान प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी, गिरिडीह द्वारा धनवार थाना केस नंबर 275/2021(एस) के संबंध में पारित दिनांक 04.08.2023 के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की गई है, जिसके तहत, दंड प्रक्रिया सहिंता की धारा 82 के तहत उद्घोषणा याचिकाकर्ताओं के खिलाफ विद्वान प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी, गिरिडीह द्वारा जारी की गई है।

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता निर्दोष थे और वे कानून की प्रक्रिया से बच नहीं रहे थे, बल्कि उन्होंने अग्रिम जमानत को प्राथमिकता दी थी,

इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि धनवार थाना केस नंबर 275/2021 (एस) के संबंध में विद्वान, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी, गिरिडीह द्वारा पारित दिनांक 04.08.2023 के आदेश को रद्द कर दिया जाए और उसे अलग रखा जाए।

4. राज्य की ओर से पेश विद्वान अपर लोक अभियोजक ने 275/2021 (एस) के धनवार थाना केस के संबंध में विद्वान, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी, गिरिडीह द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.08.2023 को रद्द करने की प्रार्थना का जोरदार विरोध किया और प्रस्तुत किया कि विद्वान, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी,गिरिडीह द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 04.08.2023 में कोई अवैधता नहीं है, इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह आपराधिक विविध याचिका, बिना किसी योग्यता के होने के कारण खारिज कर दिया जाए।

5. बार में की गई प्रस्तुतियों को सुनने और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को देखने के बाद, यहां यह उल्लेख करना उचित है कि 04.08.2023 को, मामले के अनुसंधानकर्ता ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ जारी गिरफ्तारी के गैर-जमानती वारंट की निष्पादन रिपोर्ट के साथ एक याचिका प्रस्तुत की, जो उक्त मामले के आरोपी व्यक्ति हैं, केस डायरी के हिस्से के साथ। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी, गिरिडीह,ने रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर पाया कि तीन मौकों पर, जब पुलिस ने याचिकाकर्ताओं के घर पर छापा मारा, जिसका विवरण संबंधित आदेश में उल्लेख किया गया है, याचिकाकर्ता, जो उस मामले के आरोपी हैं, अपने आवासीय घर से और इस प्रकार उपलब्ध सामग्री से अनुपस्थित पाए गए। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी, गिरिडीह, संतुष्ट था कि याचिकाकर्ता अपनी गिरफ्तारी से बच रहे हैं और अदालत के समक्ष याचिकाकर्ताओं की उपस्थिति के लिए समय और स्थान तय किया और दंड प्रक्रिया सहिंता की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी करने का आदेश दिया, इसलिए, इस न्यायालय ने उक्त आदेश में कोई अवैधता नहीं पाई।

6. इसके अलावा, अब तक यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है, जैसा कि श्रीकांत उपाध्याय और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य 2024 0 सुप्रीम (एससी) 226 के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि अग्रिम जमानत दाखिल करना, ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश होने की राशि नहीं है, और इसलिए, अग्रिम जमानत दाखिल करना, दंड प्रक्रिया सहिंता की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी करने के लिए एक बाधा नहीं होगी, जिसका कंडिका 23 निम्नानुसार है:

"23.XXXXXXXXXXXX अग्रिम जमानत के लिए आवेदन लंबित है, अंतरिम संरक्षण के अभाव में, यदि कोई पुलिस अधिकारी संबंधित अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकता है, तो यह कैसे संतुष्ट हो सकता है कि अदालत जिसने उपस्थिति के लिए अपने आदेश का पालन करने के लिए गैर-आज्ञाकारिता के कारण समन जारी किया था और फिर गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था, धारा 82 के तहत प्रावधानों के संदर्भ में आगे नहीं बढ़ सकता है, दंड प्रक्रिया संहिता (दंड प्रक्रिया सहिंता) के तहत केवल अग्रिम जमानत के लिए आवेदन लंबित होने के कारण। यदि उक्त स्थिति को स्वीकार कर लिया जाता है तो इसे गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने के प्रभाव और परिणामों से बचने के लिए और अग्रिम जमानत के लिए क्रमिक आवेदन दायर करके दंड प्रक्रिया सहिंता की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी करने से बचने के लिए एक चाल के रूप में अपनाया जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में, और किसी वैधानिक निषेध के अभाव में और इसके अलावा, कानून की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जो एक पुलिस अधिकारी को अग्रिम जमानत के लिए आवेदक को गिरफ्तार करने में सक्षम बनाता है, यदि अग्रिम जमानत के लिए आवेदन लंबित है, तो मामले को स्थगित कर दिया जाता है लेकिन कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया था। हमें विचार के लिए पूछे गए प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में देने में कोई संकोच नहीं है। दूसरे शब्दों में, यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी अंतरिम आदेश के अभाव में, अग्रिम जमानत के लिए आवेदन का लंबित होना ट्रायल कोर्ट को उद्घोषणा के लिए कदम जारी करने/कार्यवाही करने और कानून के अनुसार दंड प्रक्रिया सहिंता की धारा 83 के तहत कदम उठाने से नहीं रोकेगा। (महत्त्व सन्निविष्ट)

7. उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि धनवार थाना केस नंबर 275/2021(एस) के संबंध में विद्वान प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी, गिरिडीह द्वारा पारित दिनांक 04.08.2023 के आदेश में कोई अवैधता नहीं है, इसलिए, यह दंड प्रक्रिया सहिंता की धारा 482 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उक्त आदेश में इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

इसलिए, इस आपराधिक विविध याचिका को बिना किसी योग्यता के खारिज किया जाता है।

(अनिल कुमार चौधरी,न्यायमूर्ति)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

दिनांक, 20 मार्च, 2024

यह अनुवाद (मदन मोहन प्रिय), पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।